



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ, 1944 (श०)

संख्या - 286 राँची, गुरुवार,

16 जून, 2022 (ई०)

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

संशोधित संकल्प
25 मई, 2022

पत्रांक-02/कृ०गो०रा०-23/2019-1128 --श्री मदन मोहन जयसवाल, तत्कालीन भूमि संरक्षण पदाधिकारी, दुमका सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध तालाब जीर्णोद्धार एवं डोभा निर्माण योजना के कार्यान्वयन में बरती गयी वित्तीय अनियमितता तथा भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों के संदर्भ में गठित आरोप पत्र में सन्निहित आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित प्रतीत होने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या-1444 दिनांक-20.08.2020 एवं अल्प-संशोधित संकल्प सं०-2155 दिनांक-06.12.2021 के द्वारा श्री जयसवाल के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया है।

2. श्री जयसवाल दिनांक- 31.12.2020 को ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अतः विभागीय संकल्प संख्या-1444 दिनांक-20.08.2020 एवं अल्प-संशोधित संकल्प सं०-2155 दिनांक-06.12.2021 द्वारा इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43 (B) के तहत संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया जाता है ।
3. विभागीय संकल्प संख्या-1444 दिनांक-20.08.2020 एवं अल्प-संशोधित संकल्प सं०-2155 दिनांक-06.12.2021 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृष्ण कुमार पाण्डेय,
सरकार के उप सचिव ।
